रीडर

20 इस कार्यवाही पेश हुई। वकील उभयपक्ष उक्त
23
पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ताओं की
बहस पर मनन किया एवं हमने वाद पत्र
का भी पूर्ण रूप से अध्ययन किया इसमाफिक
प्रस्तुत प्रकरण वादी को वाद पत्र प्रस्तुत
करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण
वाद पत्र वाद हेतुक के अभाव में खारिज
किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी 2 व 3
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम
11 जा० दी० स्वीकार कर वादी का वाद
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल होकर कार्यालय दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)